

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

|   |  |   |
|---|--|---|
| वादी  | ब  | प्रतिवादी   |
| <del>आलयाम पुत्र मिश्रामपुत्र</del><br><del>परेवी</del>   | ना<br>म  | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी              |
| राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत |  |   |
| वाद-पत्र नम्बर  | 217/2021   | GCMS No. 2021/936                                     |
| तारीख हुक्म   | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
| 25/11/2021  | <p>वादी श्री <del>आलयाम</del> पुत्र <del>मिश्रामपुत्र</del><br/>जाति <del>जाल</del> निवासी <del>परेवी</del> द्वारा आज “प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021” कैम्प ग्राम पंचायत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2073-2074 ग्राम <del>परेवी</del> पटवार मण्डल <del>परेवी</del> के खाता नम्बर 111 में वादी की राजस्व रेकॉर्ड में प्रविष्टि <del>आलयाम पुत्र मिश्रामपुत्र</del> दर्ज है, जो अशुद्ध है।<br/>वादी का शुद्ध नाम <del>आलयाम पुत्र मिश्रामपुत्र</del> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 7943 6959 5823 मतदाता पहचान पत्र Rpu/0477224 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।<br/>इस संबंध में हल्का पटवारी <del>परेवी</del> भू.अ.नि. <del>आलयाम</del> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।<br/>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> |   |



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)



918-920